सं॰सं॰ : 12/एस॰–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 745/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 15/03/2024

संकल्प

विषय : वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि॰ दिनांक 27.03.2018 द्वारा अनुमान्य किये गये परिवहन भत्ता में संशोधन के संबंध में।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 तथा संकल्प संख्या 737/वि॰ दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) द्वारा विभिन्न भत्ते अनुमान्य किये गये हैं।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि॰ दिनांक 27.03.2018 की कंडिका–5 (IV) द्वारा सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता निम्नरूपेण अनुमान्य किया गया है :–

Employees drawing pay in pay level	Rates of Transport Allowance per month	
	Employees posted in 'X' Cities	Employees posted in 'Y' Cities
9 and above	Rs. 7200 + DA thereon	Rs. 3600 + DA thereon
3 to 8	Rs. 3600 + DA thereon	Rs. 1800 + DA thereon
1 and 2	Rs. 1350 + DA thereon	Rs. 900 + DA thereon

3. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापान संख्या OM. No. 21/5/2017-E.II(B) दिनांक 02.08.2017 द्वारा सप्तम् वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों, जिनका वेतन Level-1 एवं Level-2 के अंतर्गत रू॰ 24,200/– अथवा इससे उपर है, को X एवं Y श्रेणी के शहरों के लिए परिवहन भत्ता की दर क्रमशः रु॰ 3600 + DA एवं रु॰ 1800 + DA अनुमान्य किया गया है।

4. राज्य अंतर्गत कई कर्मचारी संघ/संगठन द्वारा उपरोक्त कंडिका–3 में उल्लेखित भारत सरकार के पत्र के आलोक में राज्य के कर्मियों, जिनका वेतन Level-1 एवं Level-2 के अंतर्गत रु॰ 24,200/– अथवा इससे उपर है, को Y श्रेणी के शहरों के लिए परिवहन भत्ता की दर क्रमशः रु॰ 900 + DA से बढ़ाकर रु॰ 1800 + DA अनुमान्य करने का अनुरोध किया जाता रहा है। झारखण्ड विधानसभा के प्रत्यायुक्त विधान समिति द्वारा भी राज्य के Level-1 एवं Level-2 के कर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप बढ़े हुए दर से परिवहन भत्ता का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with CamScanner

5. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत उपरोक्त के आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापान संख्या OM. No. 21/5/2017-E.II(B) दिनांक 02.08.2017 के आलोक में सप्तम् वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य के कर्मियों, जिनका वेतन Level-1 एवं Level-2 के अंतर्गत रु॰ 24,200/– (चौबीस हजार दो सौ) अथवा इससे उपर है, को X एवं Y श्रेणी के शहरों के लिए परिवहन भत्ता की दर क्रमशः रु॰ 3600 + DA एवं रु॰ 1800 + DA अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

6. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

7. यह आदेश दिनांक 01.02.2024 के प्रभाव से लागू होगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 646/वि० दिनांक 06.03.2024 के क्रम में दिनांक 12.03.2024 की बैठक के मद सं० 09 में दी गई है।

<u>आदेश</u> :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 745/वि० राँची, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 745/वि० **राँची, दिनांक** 15/03/2024

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वित्त विभाग, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/24

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव।

Scanned with CamScanner